International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746; Impact Factor: RJIF 5.34
Received: 05-08-2020; Accepted: 20-08-2020; Published: 06-09-2020
www.alleducationjournal.com
Volume 5; Issue 5; 2020; Page No. 26-32

रेडियो की भूमिका सामाजिक और राष्ट्रीय पुनरूत्थान में

Kavita Raj
Ph.D in Public Administration, Guest Faculty, A.N. College, Patna, Bihar, India

प्रस्तावना

लैरी कालिन्स और दॉ मिनियक लैपियर की चर्चित पुस्तक ''आधी रात की आजादी'' की चन्द पंक्तियाँ संदर्भ के लिए उद्घृत है – 'भारत में अंग्रेजों की शासन–पद्धति शुरू से कुछ ऐसी रहीं, जैसी कोई बूढ़ा स्कूल मास्टर कक्षा के उजडु विद्यार्थियों को बेंत के जोर पर सही करने निकला हो। इस स्कूल मास्टर को पूरा विश्वास था कि विद्यार्थियों को जो शिक्षा वो दे रहा है, वही उनके लिए सही ओर सर्वश्रेष्ठ है। यदि अपवादों को छोड़ दे तो अंग्रेज अधिकारी अपनी योग्यता और भ्रष्टाचार हीनता का ही परिचय देते थे। वे पक्का फैसला करके घर से निकलते थे कि भारत के हितों की हर सूरत में रक्षा करेंगे लेकिन समस्या केवल यह थी कि भारत के हितों की रक्षा कहाँ है और कहाँ नहीं, इसका निर्णय वे भारतीयों को न देकर स्वयं किया करते थे।उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वह दूरी, जिसे वे भारतीयों और स्वयं के बीच हमेशा बनाए रखना चाहते थे। भारतीयों पर शासन वे उनके साथ घुल–मिलकर नहीं, बल्कि उनसे दूर रहकर करते थे। सन् 1918 के बार इण्डियन सिविल सर्विस में अंग्रेजों की भरती दिनों दिन कठिन होती गई। अन्ततः उन्हें भारतीयों की सेवाएँ स्वीकार करनी पड़ीं। 1947 के नववर्ष दिवस पर, मुश्किल से एक हजार अंग्रेज 'इंण्डियन सिविल सर्विस' में रह गए थे। भारत की चालीस करोड़ जनता को उन मुट्ठीभर अंग्रेजों ने, न जाने कैसे, अपनी शासकीय समताओं से जकड़ रखा था।''[1]

उपरोक्त पुस्तक का प्रसंग भले ही अंग्रेजों की क्रुरता का द्योतक हो लेकिन यह प्रसंग इस बात की ओर दृष्टि देता है कि कहीं–न–कहीं भारतीय जनता एकजुट नहीं थी उनके बीच संचार नहीं था। जनसम्पर्क जितना अधिक होता गया आजादी की लड़ाई उतनी ही मजबूत होती गई। कहने का अर्थ है कि जनसंचार ने लोगों में ये भावना उत्पन्न की कि जब–तक प्रशासन खुद की मुट्ठी में नहीं होगा तब तक भारतीयों का विकास नहीं होगा, वे स्वतंत्र नहीं होगें।

आज से लगभग दो सौ बत्तीस वर्ष पूर्व सन् 1772 में लंदन से कोलकाता व्यापार करने आए जेम्स अगस्तस हिक्की भारत में पत्रकारिता के जनक कहें जाते हैं, जिन्होंने अपनी कलम की धार से बेबाक पत्रकारितका की राह दिखाई। इंग्लैण्ड से भारत आब हिक्की निर्भीक, वेबाक और साहसी पत्रकार के रूप में मिसाल है। जिसके कारण कई बार वो जेल भी गए, फिर भी सत्ता ओर जुल्म के विरूद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उस वक्त माध्यम विकसित नहीं था, फिर भी प्रशासन के सही–गलत फैसले पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का काम 'पत्रकारिता' करती थी। उनकी मान्यता थी कि अखबार में अलग प्रशासन की खामियों की आलोचना की जाए तब उनके सुधार हो सकता है।

प्राचीन काल में सूचना तकनीकी विकसित नहीं थी, पत्र–पत्रिकाएँ ही विकास–प्रशासन को त्वरित करने का कार्य करती थीं। सामाजिक परिवर्तन लोने की दिशा में समाचार जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसने बड़े से बड़े शासन की हिलाकर रख दिया साथ ी उसे जनकल्याण की ओर प्रेरित करने की भूमिका भी अदा की है। विश्व के महान योद्धा नेपोलियन ने एक बार कहा था कि यदि चार समाचार–पत्र नाराज हो जाएँ जब उनका प्रहार एक हजार सैनिकों से भी अधिक घात सिद्ध होता।

इतिहास साक्षी है कि समाचार–पत्रों ने अपने जन्मकाल से ही जब–जागरण की लिए समाचार–पत्र ही जनसंचार का कार्य करते थे। धीरे–धीरे रेडियों–टेलीविजन क्रांति के बाद सूचनाओं के आदान–प्रदान और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का स्वरूप बदलता गया। प्रसारण की प्रक्रिया ने अपने को बहुत तेजी से व्यस्क बनाया है। बीसवीं सदी के प्रवेश के साथ ही बेतार संवाद का प्रयोग शुरू हुआ और आधी शताब्दी गुजरते–गुजरते जनसंचार की कला परवान चढ़ गई। 19वीं सदी के अंततक इस बात की कोरी–कल्पना और ख्याली–पुलाव समझा जाता रा कि कोई आदमी दूर के एक स्थान पर बोले ओर उसकी आवाज को बिना तार या किसी सीधे संबंध के दूसरी जगह के लोग सुनें।

भारतीय धर्मशास्त्रों में ऐसी कल्पना के लिए ''आकाशवाणी'' शब्द का प्रयोग होता था, जो मात्र ईश्वर या देवताओं द्वारा बोली जाने वाली वाणी थी। किसे पता था कि आकाशवाणी कुछ ही दिनों में गरीब अमीर, पुण्यात्मा और पापी, आस्तिक और नास्तिक सबके लिए आम हो जाएगी।

द्वितीया विश्वयद्ध के बाद दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल गया। पूरा संसार दो गुटों में बँट गया। राजनीति का ध्रुवीकरण प्रारम्भ हुआ। अमेरिका और रूस क्रमशः पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थप्रणाली के प्रचारक बने। ये दो देश अपनी प्रभुता एवं बड़प्पन प्रचारित करने के लिए आतुर हो उठे। संचार एवं अन्य साधनों के जरिए दुनिया क्रमशः छोटी होती गई और राष्ट्र एक–दूसरे के करीब आते गए। सबसे बड़ी बात यह उभरी कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राजनीति एवं अर्थनीति के लिए राजनयिक अगुओं के स्थान पर ''जनता'' आ खड़ी हुई।

समाजवादी रूस हो या पूंजीवादी अमेरिका या साम्राज्यवादी इंग्लैण्ड–वहाँ की जनता रंगमंच पर उभर कर आ खड़ी हुई और बिना जनता को संतुष्ट किए बिना किसी भी राष्ट्रनायक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला लेना संभव नहीं रहा। इस समूह चेतना को उद्बोधित करने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनसंचार–माध्यमों को दुनिया के तमाम राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र के लिए तथा बाहर की दुनिया के लिए अपनी बात कहने के सर्वश्रेष्ट साधन के रूप में अपनाया।

कहने का तात्पर्य है कि जनसंचार–माध्यमों या जनसम्पर्क ने आरम्भ से ही विकास–प्रक्रिया में भूमिका निभायी है। जनसंचार का काम देश के नागरिकों के नजरिए को अधिक से अधिक व्यापक बना और देश की नीतियों, विकास व प्रगति की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अमल में उनकी सक्रिया भागीदारी प्राप्त करना है। इस प्रकार देश का आर्थिक–विकास कर सकें और सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करें, ताकि राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और सुरक्षा मजबूत हो। सामाजिक विकास और राष्ट्रीय पुनरूत्थान के लिए प्रशासन की सजगता हमारे देश में अति प्राचीन काल से रही है।

1947 में जब देश आजाद हुआ इसके पश्चात् भारत में विकास हेतु नीवन गतिविधियों को लागू करने के लिए निर्णायक मोड़ आया। चुँकि तात्कालिन भारत के समक्ष अनेक समस्याएँ जटिल एवं विकराल रूप में खड़ी थी। ऐसे में एक उचित ढाँचे का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। वहीं दूसरी ओर भारत जैसे विजातीय प्रकृति वाले देश में अर्थात् एक तरफ गरीब तो दूसरी ओर जमींदार, एक ओर रूढ़िवाद समाज था तो दूसरी तरफ परिवर्तन के इच्छुक लोग, ऐसी विषमताओं में नवीनता लाना एक मुश्किल कार्य था। साथ ही जनसहभागिता प्राप्त करना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। इन स्थितियों में यह जरूरी था कि विकास की प्रक्रिया ऐसी हो ताकि समस्त गतिविधियाँ संचालित हो सके। कोई भी देश हो, वहाँ की शासन व्यवस्था जिस प्रकार की हो, सभी देशों की सरकारें सदा कोशिश करती रहती है कि जनता के बीच उसकी छवि सुन्दर बनी रहे। विकास के लिए जो भी प्रशासकीय कदम उठाए जाए उसको अपनाने के लिए जनता आगे आए। इसके लिए सरकार सूचना–माध्यमों का सहारा लेती है। विचारों के आदान–प्रदान समस्याओं पर चर्चा, उन्नति और विकास योजनाओं की सूचना जल्द–से–जल्द उपलब्ध कराने में जनसंचार–माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही जनता की इच्छा, उनके विचारों को भी जानने में जनसंचार द्वारा सरकार को बहुंत लाभ मिलता है ।

जनसंचार के कई माध्यमों में रेडियो की भूमिका अहम है। रेडियो एक ऐसी आवाज की अनोखी दुनिया है जो सर्वत्र उपलब्ध ,सहज एवम् सस्ता माध्यम है। जनसंचार का यह माध्यम एक साथ लाखों लोगों तक बिना निरक्षरता की बाधा के बहुत कम समय में पहुँच जाता है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के समय नियंत्रक रह चुके लॉयनेल फील्डेन ने कहा था कि ''निश्चय ही भारत जैसे देश में प्रसारण जितनी शिक्षा ला सकता है, एकता ला सकता है तथा जितना निर्देश दे सकता है उतना कोई अन्य माध्यम नहीं कर सकता ।'' उनकी बात आज भी अक्षरशः सत्य ही है। रेडियो ने अपनी स्थापना के समय से ही अपनी भूमिका का निर्वाह सामाजिक और राष्ट्रीय पुनरूत्थान में किया है ।यही वजह है कि रेडियो की उपयोगिता आज भी है । रेडियो की उपयोगिता का सामाजिक और राष्ट्रीय पुनरूत्थान में अध्ययन प्रासंगिक प्रतीत होता है ।

भारत में रेडियों प्रसारण की शुरूआत 1920 के दशक में हुई। पहला कार्यक्रम 1923 में मुम्बई के रेडियों क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में मुम्बई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। रेडियों का नियमित प्रसारण 23 जुलाई 1927 से शुरू हुआ। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना आरम्भ कर दिया।

उल्लेखनीय है कि 'आकाशवाणी' भारत में अकेला रेडियो नेटवर्क था लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निजी एवं सरकारी संस्थाओं को 500 से अधिक एक एम रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति मिलने के बाद अब हर शहर ओर गाँव में एफ एम रेडियों की धूम है। अब वो चाहे ए.आई. आर. यानी ऑल इण्डिया रेडियों का एफ एम रेडियो एक या दो हो और या फिर 98.3डर्भ पर रेडियो मिर्ची, रेडियों सिटी या रे एफ एम या ज्ञानवाणी।

आकाशवाणी का नेटवर्क विस्तार

स्वतंत्रता प्रापित के समय देश में दह आकाशवाणी केन्द्र और 18 ट्रांसमीटर थे ये देश के 3–5 प्रतिशत क्षेत्र में फैले थे और ग्यारह प्रतिशत जनसंख्या तक इनकी पहुंच थी। इस समय 215 आकाशवाणी केन्द्र और 337 ट्रांसमीटर है जिनकी पहुंच देश के 91.42 प्रतिशत क्षेत्र में 99.13 प्रतिशत जनसंख्या तक है।

दिल्ली में 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से आकाशवाणी का भाषा भारती चैनल शुरू किया गया। इस पर प्रतिदिन 15 भाषाओं में सबेरे पौने दस बजे से शाम पाँच बजे तक आधे–आधे घंटे के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते है।भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परम्परा को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी ने हाल में बैंगलूर में एफ एम पर विशेष 'शास्त्रीय–संगीत' चैनल शुरू किया है।जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियों कवजेर का विस्तार किया जा रहा है।

आकाशवाणी–संसाधन

आकाशवाणी ने प्रसारण के क्षेत्र में परामर्शदात्री तथा टर्न–की समाधान सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक व्यावसायिक शाखा 'आकाशवाणी संसाधन' शुरू की है। यह 'ज्ञानवाणी' चैनल के लिए 40 एफ एम स्टेशन स्थापित करने के लिए इग्नू को टर्न–की समाधान सेवा उपलब्ध करा रहा है। कृषि मंत्रालय को 'किसानवाणी' चैनल के लिए एफ एम ट्रांसमीटरों (मैट्रो तथा विविधभारती को छोड़कर) पर एक घंटे के कार्यक्रम प्रसारण का समय दिया गया।

यह चैनल पहली अप्रैल 2004 को 12 स्थानों से और 3 दिसम्बर 2004 को 73 स्थानों से शुरू किया गया। आकाशवाणी की परिवार कल्याण इकाइयां और अन्य केन्द्र हर महीने लगभग 25,000 मिनट की अवधि के 15,000 से अधिक कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बारे में प्रसारित करते हैं।

आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग

यह भारत और शेष विश्व के बीच सम्पर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विदेश सेवा प्रभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रभाग 25 भाषाओं में जिनमें 16 विदेशी और 9 भारतीय भाषायें हैं, प्रतिदिन 70 घंटें के कार्यक्रम प्रसारित करता है। इससे विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को पसंदीदा मनोरंजक कार्यक्रम और मातृभूमि की सूचनाएँ प्राप्त होती है।

आकाशवाणी हर वर्ष होनेवाली अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिताओं में सक्रियता से भाग लेता रहा है और इनाम जीतता रहा है। आकाशवाणी ने प्रिक्स मारूलिक समारोह, क्रोएशिया, ए आइ बी डी पुरस्कार कुवालालंपुर, सी.बी.ए. पुरस्कार, लंदन, ए.बी.ए. पुरस्कार, कुवालांलपुर, अंतरराष्ट्रीय ग्रैड प्री, फ्रास में अपनी एंट्री गत वर्षो में भेजी है।

इसी प्रकार आकाशवाणी ने ए.बी.यू. पुरस्कार के बच्चों तथा युवावर्ग में कार्यक्रम 'धीरे–धीरे बह जा पावन' के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल

इसकी शुरूआत 18 मई, 1988 को हुई। इस पर रात्रि के प्रसारण के रू‍प में शाम 6.50 से सुबह 6.15 बजे तक कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। इस चैनल की पहुक्रच देश के 64 प्रतिशत भूभाग में एवं 16 प्रतिशत ाबादी तक है। इसका लक्ष्य ट्रक ड्राइवरों जेसे सड़कों पर चलनेवाले लोगों, कारखानों में रात्रि–पारियों में कार्यरत लोगों और होटलों तथा अस्पतालों में कार्यरत संगीत प्रेमियों की सेवाकर है।

आकाशवाणी के ट्रांसक्रिप्शन कार्यक्रम विनिमय सेवा प्रभाग

इसके पास इनसेट–1 डी और इनसैट–2 ए के आर. एन. चैनलों पर एक उपग्रह प्रसारण सुविधा है। इस सेवा के माध्यम से विभिन्न प्राकर के कार्यक्रमों को रिकार्ड करके रख लिया जाता है ताकि भविष्य में उनका विभिन्न स्टेशनों से प्रसारण किया जा सके।

अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ

(क) एस.एम.एस.आधारित स्टूडियों इंटरफेस प्रणालीः यह प्रणाली मोबाइल श्रोताओं और प्रसारण स्टूडियों में लगे कम्प्यूटर सर्वर के बीच एस एम एस के जरिए संचार के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराती है। श्रोता ताजा समाचार, शहर यातायात सूचना, दैनिक जन्मकुण्डली, मौसम की जानकारी तथा क्रिकेट स्कोर के लिए एस एम एस भेज सकते हैं।

(ख) डाटा रेडियो चैनल (डी ए आर सी) प्रणालीः डी.ए.आर.सी. डाटा रेडियो चैनल पहले से मौजुद एफ एम संरचना पर आधारित प्रसारण प्रणाली है। यह सूचना प्रदाताओं को एफ एम रेडियो नेटवर्क के कवरेज के क्षेत्र में किसी भी स्थान पर आंकड़े (विषय सामग्री, चित्र या दृश्य) प्रेषित करने की अनुमति देता है।

(ग) डिजिटल रेडियो मोनडायले (डी. आर. एम.): इसके तहत डी. आर. एम. की सबसे उपयुक्त विशेषताओं के अध्ययन करने की योजना है। ये है :–विशेष दक्षता श्रव्य क्वालिटी में सुधार और वैल्यू रेडेड सेवाएं जैसे आंकड़े, विषय इत्यादि प्रदान करना।

(घ) ऑडियो ऑन डिमांड सेवा : इसमें श्रोता फोन पर फरमाइश गीत रिकार्ड कर कुछ समय पश्चात अपनी पसंद का गीत सुन सकता है। इसके लिए लोकप्रिय गीतो को कम्प्यूटर हार्डडिस्क पर रिकार्ड कर उनका एक बड़ा पुस्तकालय बनाया गया है। आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग के कम्प्यूटर आधारित ऑडियों रिकार्डिंगऔर स्वचालित प्ले बैक प्रणाली काफी लोकप्रिय हुई है।

(ड़) डी.टी.एच. प्लेटफार्म पर आकाशवाणी : डी.टी.एच. पर आकाशवाणी के 12 भाषाई चैनल–विविध भारती, एफ एम रेनबो तथा गोल्ड चैनल, हिन्दी, बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगू, कन्नड़ तथा पूर्वोत्तर भाषाओं की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं बाद में और भाषाओं तथा बोलियों को शामिल करके रेडियों चैनलों की संख्या 30 तक कर दी जाएगी।

(च) ई.डी.पी. प्रकोष्ठ : आकाशवाणी के स्टेशनों और कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण और उनमें योग्य व्यक्तियों की तैनाती की जिम्मेदारी दी गई है। सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए 'एअरनेट' संजाल की योजना ओर डिजाइन तैयार कर लिया गया है। नई प्रौद्योगिकियों के आविष्कार और समाचारों को तैयार करने, उनका संपादन तथा प्रसारण करने के लिए समय कम लगता है। इससे आखिरी क्षण तक महत्वपूर्ण समाचारों को बुलेटिन में शामिल करना सम्भव हुआ है। आकाशवाणी ने एक–सम्पर्कीय प्रसारण (इन्टरैक्टिव ब्राडकास्टिंग) सेवा शुरू की है जिससे आकाशवाणी की 'फोन–इन' समाचार सुविधा दी जा रही है। इसमें श्रोता फोन करकेताजा समाचारों की सुर्खियों के रिकार्ड सुन सकता है।

(छ) स्काई रेडियों सेवाः आकाशवाणी की स्काई रेडियो सेवा। अप्रैल, 1994 को शुरू हुई। इसमें 24 चैनल हैं। इससे क्षेत्रीय भाषाओं की रेडियों सेवा को देश के हर हिस्से में पहुंचाना आसान हुआ है। इससे देश में कहीं भी बैठा कोई भाषा–भाषी व्यक्ति अपनी भाषा के क्षेत्रीय कार्यक्रम एफ. एम. प्रसारण की तरह सुन सकता है। आकाशवाणी अनेक भाषाओं के कार्यक्रम तैयार करती है। संबंधित क्षेत्रीय स्टेशन उपग्रह अपलिंकिंग सुविधा को इनसैट दो–ए से जोड़कर क्षेत्रीय कार्यक्रमों को एस बैण्ड के रेडियों नेटर्किंग आर.एन. टर्मिनलों के जरिए देश में कहीं भी रिसीव कर प्रसारित किया जा सकता हैं। इन कार्यक्रमों को प्रसारण के लिए इस तरह चुना जाता है कि इस क्षेत्र के टी.वी. और रेडियों कार्यक्रमों को यथासंभव एक साथ प्रसारित किया जा सके।

सी.डी. अभिलेख–निर्माण व्यवस्थाः आकाशवाणी के पास टेप और विनायल डिस्क पर श्रव्य रिकार्को की धरोहर है। इन बहुमूल्य आडियों रिकार्डो की आवाजों को संजोए रखने के लिए इनके डिजिटल रिकार्ड बनाने की अभिलेखन प्रणाली शुरू की गई है। आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग ने पर्सनल कम्प्यूटर पर आधारित एक 'डिजिटल ऑडियो प्रणाली' विकासित की। इस प्रणाली में कम्प्यूटरों के साथ–साथ ध्वनि उपकरण भी लगाए गए। ऑडियों टेप को डिजिटल रूप में रिकार्ड करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर इसे माइक्रो साफ्टवेयर फाइल के रूप में जमा किया जाता है। यह उपयोगकर्त्ता के लिए सरल है। बाद में हार्ड डिस्क की फाइल को मानक श्रव्य सी.डी. में बदल दिया जाता है। इसे बाद में किसी भी सामान्य सी.डी. प्लेयर पर चलाकर रिकार्ड सुना जा सकता है।

इंटरनेट और आकाशवाणीः रेडियों तरंगों के माध्यम से जहाँ तक आकाशवाणी के कार्यक्रम नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के कोनों तक पहुंच गया है। पहली लिपिबद्ध (टेक्स्ड मोड) इंटरनेट सेवा 2 मई 1996 को और श्रव्य (ऑडियो मोड) सेवा 13 जनवरी, 1997 को शुरू की गई। आकाशवाणी के कार्यक्रमों को इंटरनेट पर वास्तविक रू॰ में सुनने के लिए व्यक्ति को एक पर्सनल कम्प्यूटर, साउण्ड ब्लास्टर कार्ड, मल्टी मीडिया किट, विण्डो 95 ब्राउजर साफ्टवेयर, टेलीफोन लाइन और इंटरनेट सेवा देनेवाली एजेंसी से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। इस पर श्रोता नाटक, संगीत, समाचार या कोइ भी मनचाहा कार्यक्रम सुन सकते हैं ये कार्यक्रम नियमित रूप से इंटरनेट पर डाले जाते हैं और इनमें नए कार्यक्रमों का भी समावेश किया जाता है। इस सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति आकाशवाणी के साइट एच टी टी पीः//ए. आई. आर. के. ओ. डी. ई. एन. ई. टी. पर किसी ब्राउजर की मदद से इसके होमपेज पर पहुंच सकता है। आकाशवाणी की चौबीसों घंटे की सीधी इंटरनेट प्रसारण सेवा 1 मई 1998 को शुरू की गई। इससे कार्यक्रमों को अमेरिका और कनाडा समेत विश्व के सभी भागों तक पहुंचाने में मदद मिली है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनः भारत सरकार ने दिसम्बर 2002 में सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस देने का फैसला किया। ये लाइसेंस केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित शिक्षा संस्थानों/संगठनों को दिए जाते हैं। इनमें विश्वविद्यायल तकनीकी/प्रबंधन संस्थन तथा आवासीय विद्यालय शामिल हैं।

वेब रेडियो और वर्ल्ड स्पेस रेडियो : आज देश में 100 से अधिक वेब रेडियो एवं वर्ल्ड स्पेश रेडियो स्टेशन हैं जिनसे विश्व के अनेक देशों के मनमोहक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो पहले संभव नहीं थी।

इस प्रकार भारत में रेडियो एक ऐसे जनसंचार माध्यम के रूप में विकसित किया गया है जिससे लोगों के बीच राष्ट्रीय प्रेरणा उत्पन्न करने को ध्यान में रखा जाय। प्रेरणा देने के साथ–साथ प्रोत्साहित करना, अभिप्रेरित करना और बेहतर जीवन व राष्ट्रीय विकास के लिए प्रयास करने हेतु अग्रसर करती है। लोगों का जीवन स्तर उन्नत तभी किया जा सकता है तथा सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास की पूर्व जानकारी हो। पुनः ये जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार/प्रशासन तकनीकी विकास की आवश्यकता महसूस करता है। इसलिए आकाशवाणी/दूरदर्शन जैसे जनसंचार माध्यमों के विकास के लिए उनके संगठन और संरचना में सरकार ने समय–समय पर परिवर्तन लाए ताकि यह दोनों जनसंचार का सशक्त माध्यम बन कर उभरे।

विलब्यूर स्क्रेम ने अपनी पुस्तक'मास मीडिया एण्ड नेशनल डेवलपमेंट के एक अध्याय राष्ट्रीय विकास में संचार क्या कर सकता है, तथा क्या करने में वह मदद कर सकता है, इस विषय को समर्पित किया है। स्क्रैम ने उन आवश्यक सेवाओं, जो विकासशील देश में संचार माध्यमों को करनी चाहिए, को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया हैः–

1. संचार माध्यम दूरियों तथा अलगाव की बाधाओं को तोड़ देते है। दूर को नजदीक लाकर तथा अनजाने तथ्यों के बारे में

समझ पैदा करके संचार माध्यम परम्परागत तथा आधुनिक समाजों के बीच संक्रमण का पुल बना सकते है।

2. समाचार–पत्र, रेडियो, पत्रिकाएँ आदि जो कि निगरानी कर्ता भूमिका का निर्वहन करते है, उन्हे ही यह तय करना आवश्यक हैं कि किस घटना की पुनः सूचना दी जाए किस पर कैमरा केन्द्रित किया जाए, किसका उल्लेख किया जाए, किन घटनाओं को दर्ज किया जाए। यही माध्यम भारी मात्रा में यह तय करते है कि लोग क्या जाने और किसके बारे में बात करें। विकासशील देशो के लिए यह संकेतात्मक तथ्य है, क्यो कि इसका अर्थ है कि लोगो का ध्यान विकास पर केन्द्रित रखा जा सकता है। समय–समय पर रूचियो को एक नए रिवाज एक नए व्यवहार, एक नवीन स्वास्थ्य तथा कृषितकनीक, आधुनिकीकरण के किसी लाभ अथवा कोई भी वह वस्तु जिसमें परिवर्तन आवश्यक हो की ओर मोड़ा जा सकता है।
3. अधिकतर नवीन स्वतंत्र राष्ट्रो में राष्ट्रीय उत्साह को बढ़ाने में वहॉ के रेडियो और प्रेस का उपयोग किया जाता है। लोगो को बेहतर जीवन तथा राष्ट्रीय विकास की ओर अग्रसर किए बिना कभी भी विकास ला पाना असम्भव है।

स्क्रैम ने अपने अध्ययन में यह भी दर्शाया कि संचार के माध्यम कभी भी समाज में गहरे पैठे हुए मूल्यों, प्रवृतियों अथवा सामाजिक रिवाजों पर प्रहार करने में बहुत प्रभावी नहीं रहे है। परन्तु जनसंचार के लिए यह सम्भव है कि वह हल्की प्रवृतियों पर प्रकाश डाल सके तथा गहरी प्रवृतियों को धीरे–धीरे समाप्त करने का प्रयास करे। संचार–माध्यम सामाजिक मानक लागू कर सकते है, रूचियाँ बनाने में मदद कर सकते हैं, व्यक्तियो के स्तर निश्चित कर सकते है, नीति पर संवाद को विस्तृत कर सकते है और राष्ट्र के रूप में विकास के लिए सूचना तथा राय का दो तरफा मार्ग बना सकते है।[1]

स्क्रैम की इस विचारधारा से स्पष्ट है कि किसी भी प्रशासन में एक उत्तरदायी संचार व्यवस्था लोगो की सोच, लोगो की जरूरत से अवगत कराने में महत्वपूर्ण होती है। जनसंचार माध्यम विभिन्न समस्याओं के बारे में लोगो की राए जानने, प्रभाव तथा प्रतिक्रियाओं को पता लगाने में योगदान करता है। वो यह तय करता है किन घटनाओं और संदर्भ से लोग आवद्ध होगे, विकास पर लोगो का ध्यान आकृष्ट होगा।

आज भारतीय समाज एक कठिन समय से गुजर रहा है। जितनी तेजी से राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हुआ है उतनी ही तेजी से न्याय की भूख भी बड़ी है। शोषित और उपेक्षित वर्गो तथा क्षेत्रो में काफी बेचैनी है अपने आप को अभिव्यक्त करने की। ऐसे ही माहौल में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये माध्यम सामाजिक व्यथाओं को विचारो को समग्रता व्यक्त करने के साथ–साथ सार्थक दिशा भी प्रदान करते है।

मीना माथूर ने अपनी पुस्तक ''प्रजातंत्र, प्रेस तथा प्रशासन'' में एक विशेष विषय पर जोर दिया है जो जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।.....इससे पूर्व कि कोई व्यक्ति एक नवीन विचार, एक नई पद्धति, एक नई तकनीक, सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नई प्रणाली मो स्वीकार, सामाजिक आर्थिक स्थिती को सुधारने के लिए एक नई प्रणाली को स्वीकारे, वह समस्या के विभिन्न पहलुओं की मानसीक दशा से गुजरता है। समाजविज्ञानी इसे ''स्वीकारने की प्रक्रिया '' कहते है। आरम्भ में जागरूकता स्तर पर व्यक्ति नवीनता के बारे में जानता है, परन्तु उसे उसके बारे मे पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। वह रूचि के स्तर पर अधिक से अधिक सूचना प्राप्त करना चाहता है तथा उद्भव स्तर पर मानसिक रूप से नवीन खोज की अपनी परिस्थितियो पर लागू करके देखता है कि उसे बढ़ना चाहिए अथवा नहीं। वह प्रयोगात्मक स्तर पर नई पद्धति का प्रयोग करता है तथा अंतिम स्तर पर यदि उसे सफलता मिलती है तो वह उसे स्वीकारने का निर्णय लेता है।[2]

मीना माथुर के इस वाक्यांश द्वारा हम विकास प्रशासन में जनसंचार की भूमिका को स्पष्ट कर सकते है। क्योंकि निर्णय लेने के प्रत्येक स्तर पर जनसंचार लोगो को सूचना देने और जागरूकता लाने का काम करती है। विकास प्रशासन के क्रियाकलापो का भी जनता तक पहुँचाने, रूचि पैदा करने और उससे सम्बद्ध होने के साथ–साथ प्रतिक्रिया प्राप्त करने तक के प्रत्येक स्तर पर जनसंचार मौजूद रहता है। हॉ ये तथ्य अलग है कि जनसंचार की भूमिका यहाँ किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या जनसंचार विकास प्रशासन का सहयोगी बन रहा है या फिर उसकी बाल–की–खाल निकालने में रूचि दिखा रहा है।

भारतीय समाज में परम्परागत मूल्य तथा रूढ़िवादिता सर्वोच्च स्तर पर होने के कारण मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम केवल सूचनाओं या प्रवर्तन के माध्यम से ही लाया जा सकता है जो मुख्य रूप से जनसंचार के कार्य है। लोगो तक विकास योजनाओं को पहुँचाना, उसे समझाना और पुनः उन मुद्दो की खोज करना जिसके कारण परिवर्तन या विकास में बाधा पहुँचती है और फिर इसे प्रशासन तक पहुँचाना ताकि प्रशासन स्वयं में भी परिवर्तन लाकर लक्ष्य को पूरा करे।

निष्कर्ष

योजनागत नियोजन–व्यवस्था में जनसंचार और विकास प्रशासन का आमना–सामना नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान होता है और वहीं पर इन दोनों को परस्पर निर्भरता का बोध भी होता है। इसलिए_रेडियो की भूमिका सामाजिक और राष्ट्रीय पुनरूत्थान में विकास प्रशासन और जनसंचार के सकरात्मक और नकारत्मक दोनो ही प्रकार के संबंधो का असर नियोजन तंत्र, प्रक्रिया और जनहित पर पड़ता है। इसलिए इन दोनो के परस्पर संबंधो की अपेक्षा निम्नलिखित रूपो में की जा सकती हैः–

1 प्रशासन जनसंचार को समय पर सही तथा आवश्यक सूचना एवं आंकड़े उपलब्ध कराए।

1. जनसंचार माध्यम अपने स्त्रोतो द्वारा समाज तथा कार्यरत प्रशासनिक व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया तथा अर्जित उपलब्धियों के मूल्यांकन में प्रशासन की मदद करे।
2. प्रशासन अपनी विफलताओं को ढकने के लिए जनसंचार साधनो के प्रति अपनी कानूनी शक्तियों का दुरूपयोग नहीं करे।
3. जनसंचार माध्यमों को विकास या परिरवर्तन के लिए प्रशासन पर दबाव नहीं डालने चाहिए या कोई ऐसे निजी समझौते तय नहीं करने चाहिए जो कि समूचे समाज अथवा व्यवस्था के हित के विपरीत जाते है।[3]

जर्मन समाजशास्त्री मैक्स बेवर से पूछा गया,''क्या मनुष्य का लेखन मूल्य निरपेक्ष हो सकता है? उन्होनें कहा,'' मनुष्य होने का अर्थ ही है मूल्यो मान्यताओं से बंधे होना। इस पूरी तरह से कभी भी मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकते; परन्तु हम अपने मूल्यो के प्रति सचेत रहने, उन्हे स्पष्टता से समझाते हुए उनके प्रभाव से तथ्यो को विकृत न होने देने की साहस भरी चेष्टा तो कर ही सकते है।'' लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी का पहलू मात्र है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें उपलब्ध तथ्यो को अपने अनुभव से निथारने और उनकी प्रमाणिकता के बारे में पूरी–पूरी छान बीन करनी चाहिए। दोनों को एक–दूसरे के विचारों के आदान–प्रदान की जरूरत होनी चाहिए। बाल के खाल निकाले लाने से क्या कभी भी समस्याओं का समाधान हुआ है?

विकास के सामने एक बड़ी चुनौती सामाजिक–आर्थिक परिवत्तन के कार्यक्रमें पर सही रूप से अमल कराने की है।

जैसे–हरिजनों–दलितों की बस्तियों में हैण्डपंप लगाने का सरकारी निर्णय हमारे देश में समाजिक स्थिति के सामने यह योजना विफल हो जाती है क्योंकि आमतौर पर सरकार से मिला हैण्डपम्प या अनुदान को सौपान जाति या वर्ग से आए सरपंच के घर के आसपार लगा दिया जाता है। समाजिक स्थिति में पिछड़ा यह वर्ग आवाज उठाने की बात तो दूर उसे इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि यह सुविधा उसके लिए थी। ऐसी स्थिति कें विकास प्रशासन को मदद पहुँचा सकता है जनसंचार के साधन सरकारी अफसरशाही या राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग यदि गाँव के सामुदयिक हित का नुकसान पहुँचाते हैं तो ऐसी स्थिति में जागरूक माध्यमों को जनहित का प्रवक्ता बनना चाहिए।

नहरों बाँधों को देखने,उनकी तारीफ के लिए अंलकृत शब्दों का प्रयोग,विकास योजनाओं या होनेवाले खर्च को आँकड़ा जनता तक संप्रेषित कर देना मात्र ही जनसंचार की भूमिका नहीं है। बल्कि विकास को लालायित, उन परिस्थितियों में जीने वाले लोगो से बातचीत कर, उनकी समंस्याओ को सुनने और समझने के पश्चात् अपनी आवाज को दोषरहित विकास प्रणाली के निर्माण हेतु उठाना ही जनसंचार का वास्तविक काम है।

उपरोक्त को समझने के लिए गणेश मंत्री की पुस्तक ''पत्रकारिता की चुनौतियाँ'' से एक उदाहरण उल्लेखित है :–

हरितक्रांति के बाद से बार–बार सरकार यह दावा करती रही है कि हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। अभी कुछ समय पहले तक यह कहा जाता रहा है कि अब तो हम अनाज का निर्यात भी करते है। गेहूँ का आयात भी करना पड़ा है। लेकिन इसे आपातकालीन जरूरत माना जा सकता है। सचमुच ही हमारी स्थिति 1965–67 की उस स्थिति से बेहतर है जब हम गेहूँ के लिए अमेरिका पर, चावल के लिए थाइलैंड या ब्राजील या किसी अन्य देश का नितांत गरीब आज भी दो वक्त पेट भरने में असमर्थ है। आज भी हमारी आबादी का एक हिस्सा निरन्तर कुपोषण का शिकार रहता है। आज हमारे सरकारी गोदाम अन्न से भरे हैं, पर दीन दरिद्र जन के पास अन्न खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। हमारे यहाँ 'श्वेत–क्रांति की बात होती है। कहा जाता है कि हमारे देश में दूध का उत्पादन इतना हो गया है कि हमें बचे हुए दूध का मक्खन, चीज मिल्क पाउडर बनाना पड़ता है। लेकिन क्या हम देश के सभी गरीब बच्चों और दूध पिलानेवाली माताओं को दूध उपलब्ध करा पाते हैं?''

फोकस ऑन चिल्ड्रन अंडर सिक्स की वर्ष 2006 की रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों के बेहतर शारीरिक मानसिक विकास के लिए उन्हें अनुकूल सामाजिक व आर्थिक माहौल देने के उद्येश्य से 1975 में केन्द्र सरकार की ओर से शुरू की गई एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम सामाजिक भेदभाव के शिकार है। रिपोर्ट के अनुसार दलित बच्चे आज भी आंगनबाड़ी नहीं जाते क्योंकि ये केन्द्र उनके घरों से दूर उन जगहों पर है जहाँ ऊँची जाति की बहुतायत है। विकलांग बच्चों के लिए शारीरिक अक्षमता आंगनवाड़ी जाने में बाधक तो होती है लेकिन सामान्य बच्चों से अलग–थलग और उपेक्षा का अहसास उन्हें उन केन्द्रों तक जाने नहीं देता। कामकाजी महिलाओं और प्रवासी परिवारों के बच्चों का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि आंगनबाड़ियों में उन्हें शामिल किए जाने का विशेष प्रावधान न होने के कारण वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। आंगनबाड़ियों में भोजन के दौरान दलित बच्चो को अन्य बच्चो से अलग तरह के बरतन में भोजन दिया जाता है। सर्वे की कई रिपोर्ट ये दर्शाती है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना की असफलता के पीछे भेदभाव का कारण प्रमुख है। यह बाल–विकास को बाधित करता है।इस सूचना को प्रशासन तक पहुँचाने का माध्यम भलक ही ''सर्वे'' रहा हो मगर यह जनसम्पर्क/जनसंचार से ही संभव हुआ। ऐसी परिस्थितियों को विकास प्रशासन तक लाने में एक सजग जनसंचार माध्यम की भूमिका उभरती है। इस तरह की सूचना प्राप्त करने के पश्चात प्रशासन इस योजना के लिए ठोस कदम उठा सकती है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात की पुष्टि की गई है कि''महिलाओ के अधिकार सम्नन्त होने से बच्चों के बेहतर विकास की पूरी सम्भावना बनती है। यहाँ एक छोटी सी बात का हस्तक्षेप है कि यदि रिपोर्ट की एक्त पंक्ति मात्र को भी अगर जनसंचारित कर दिया जाए, तो लोगों में यह बात ार कर जाएगी । निश्चित रूप से बच्चों के विकास के लिए लोग महिलाओं के विकास के रूप में देखेगें। यहीं पर जनसंचार का काम खत्म नहीं होता बबल्कि महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों की सूचना जनता तक देने का काम भी जनसंचार माध्यम कर सकती है।

यह बात भी उचित है कि शासन–व्यवस्था जिसतरह के विकास का रास्ता चुनती है उसी मार्ग का सम्प्रेषण जनसंचार करते है। हमारे देश में हो रही विकास प्रशासन की घोषणाएं समय समय पर विशिष्ट होती है मगर शासको ने इसे लागू करने में रूचियों उस विशिष्टता से नहीं दिखायी है, ऐसे में जनसंचार ऐसी शक्ति बनता है जो शासको के क्रियाकलाप का आईना बनकर जनता के समक्ष प्रस्तुत होता हैं। वह जनता को शासक और शासकीय गतिविधियों पर नजर डालने के लिए उत्सुक करता है, एक प्रकार से जनसंचार द्वारा जनता सही–गलत का फैसला लेने में सक्षम होती है। जनता को क्या चाहिए, कैसी योजनाओं की जरूरत है, और कहॉ लागू हो इसका भी आईना बनकर विकास प्रशासन की ओर मुखरित होने की भूमिका जनसंचार निभाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि संचार व्यवस्था विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इससे जनता को अर्थव्यवस्था की सूचनाओं के आधार पर विकास में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिकी माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनसंचार व्यवस्था को समूचे समाज की सेवा करनी चाहिए।

हालांकि भारत में यह त्रासदी है कि जो योजना बना रहे हैं वे माध्यमों के लिए मात्र बजट आवंटन तक के काम तक अपने को सीमित रखे हुए है। सरकारी जनसंचार माध्यमों को क्या प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए, इन माध्यमों की व्यवस्था में, संगठन में समय के अनुरूप क्या बदलाव होने चाहिए इस पर बल नहीं दिया जाता है।

चुँकि शोधकर्ता आकाशवाणी/दूरदर्शन तथा अन्य जनसंचार माध्यमों से जुड़ी रही है, वहाँ जाकर सूक्ष्म अध्ययन किया है। यह अध्ययन अवलोकन के रूप में भी रहा और बातचीत के आधार पर भी आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य निजी चैनलो के कार्यक्रम प्रसारण का गहन अध्ययन भी शोधकर्त्ता ने किया है। वे खुद वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों अप्रत्यक्ष साक्षात्कार करके और कार्यक्रम–निर्माण के दौरान होने वाली तमाम गतिविधियों पर नजर रखा।

हकीकत यह है कि व्यवस्था की शीर्ष पर बैठे योजनाकार शायद यह समझ नहीं पर रहे कि माध्यमों का उचित इस्तेमाल किया जाए या इन व्यवस्था से जुड़े कार्यकर्त्ताओ का क्या वाकई ये संस्थान उसी प्रकार से आज भी काम कर रहे हैं जैसा इनकी स्थापना के पीछे उद्येश्य रखा गया था।

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी सुसंगठित ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर बाल शिक्षा के, सक्रिय भी नहीं रह पाए हैं, तथा कार्यक्रम बनाते हैं उसके लिए अनुसंधानकर्ता मनोवैज्ञानिक आदि की मदद नहीं लेते। चुकि दूरदर्शन और आकाशवाणी अनुबंध आधारित कार्यक्रम–निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में भाईभतिजावादी होना स्वाभाविक है और बिहार जैसे राज्य में जहाँ जातियता अपनी चरम सीमा पर हो, वहाँ मात्र इन संस्थाओं में एक दौरा कर लेने मात्र से पता चल जाता है। इन माध्यमों में अधिकांश काम 'आकस्मिक कार्यकर्ताओं ' से लिया जाता है

इसलिए यहाँ भी पक्षपात चयन करने के क्रम में होता है। यद्यपि दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकार के ऐसे जनसंचार माध्यम है जो अपने हरेक केन्द्र पर बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराती है। ऐसे आकस्मिक रोजगार प्राप्त करने वाले युवक भी संतुष्ट नहीं होते। उनसे एक बार भावनात्मक ढंग से बात करने मात्र से ही तो पूरी व्यवस्था का नकारात्मक झलक प्रस्तुत कर बैठते है। तब ये सोचना चाहिए योजनाकारों को कि क्या असंतुष्ट आकस्मिक कार्यकर्ता माध्यम के लक्ष्य में सहयोग देगे या फिर वो भी मात्र अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए अधिकारियों को रिझाने का काम करेगें।

सच तो यह है कि इन परिस्थितियों में देश के विकास की या विकास प्रशासन के मदद की बात कौन करेगा, हर जगह निजी स्वार्थ पनपेगा। यही नहीं सरकारी से लेकर तमाम निजी जनसंचार माध्यमों को आज व्यवसाय का मात्र विकल्प माना जा रहा है। जबकि जनसंचार तो एक संकल्प है; यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सर कटा कर जाना है इसलिए सर कटाने की चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।

रेडियो की भूमिका सामाजिक और राष्ट्रीय पुनरूत्थान में सकारात्मक हो इसके लिए यह आवश्यक है कि 'विकास के भारतीय परिप्रेक्ष्य की अवधारणा का निर्माण तथा उसे नीचे तक लागू कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का ढांचा तैयार करना। इस संदर्भ में मैकब्राइट कमीशन की सिफारिशो का अध्ययन उचित होगा। मैकब्राइट कमीशन ने माना कि विकास की रणनीति के तहत ही जनसंचार की नीति भी तय की जानी चाहिए तथा जरूरतों का पता करके तथा उनका निर्धारण करके प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाना चाहिए। जबकि प्रशासको द्वारा वैसी नीतियॉ तय की जाती है जो लिखित रूप से आदर्श होती तो है मगर व्यवहार में ऐसा नहीं होता। आरम्भ से ही विकास का कोई जनोन्मुख स्वरूप नहीं होता। फलस्वरूप गरीबलोग और ज्यादा गरीब हुए हैं तथा उनकी तादाद बढ़ी है तथा अमीर लोग और अधिक अमीर हुए है तथा उनकी भी संख्या बढ़ी है। अस्वस्थ एवं साधनहीन समाज में लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं लोकतांत्रिक संस्थाए भी बीमार एवं प्रभाव हीन होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में जब विकास का लक्ष्य जनता का विकास करने की बजाय पूँजीपतियों और समृद्धों के विकास की ओर हो जाएगा तो जनसंचार माध्यमों की प्रकृति भी ऐसी ही होगी, विकास मूलक माध्यम के रूप में वह नहीं उभर पाते है।

रेडियो की भूमिका सामाजिक और राष्ट्रीय पुनरूत्थान में निर्भरता महसूस कराती है।

उल्लेखनीय है कि 1982 में सूचना एवं प्रसारण मुत्रालय ने टी0वी0 में तेज विस्तारकी संभवानाओं को देखकर एक कमेटी बिठाई जिसका प्रमुख काम दूरदर्शन के लिए एक आवश्यक और उचित सामग्री (सॉफ्ट वेयर) की परिकल्पना करना था। 1985 में भारतीय टी0 वी0 के लिए एक भारतीय व्यक्तित्व शीर्षक से प्रकाशित कमेटी की रिपोर्ट दूरदर्शन के इतिहास में एक नई पहलकदमी थी। इस कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर पी0सी0 जोशी। उक्त रिपोर्ट में दूरदर्शन की समाजशास्त्रीय विधि से पड़ताल की गई जो पूरी तरह से शोध विषय में सारगर्भित भी है और प्रासंगिक भी। मसलन योजनाओं के आयाम क्या है। जनसंचार क्रांति के प्रति हमारा भारतीय दृष्टिकोण क्या हो? बदलते हुए भारत को कैसे संप्रेषित किया जाए? एक रचनात्मक संप्रेषणकर्मी के सामने क्या नई चुनौतियाँ है? जन–समाज की प्राथमिकताएं क्या और कैसी है? विकास की नई व्याख्याएं क्या हो सकती है? गरीबी की बाधा को कैसे पार किया जाए? परिवार नियोजन और मानव संसाधन विकास किस प्रकार संयोजित किए जाएं? महिलाओं की मुक्ति के प्रश्न कैसे हल हो? मनोरंजन का स्वरूप क्या है? आदि तमाम व्यापक व बुनियादी प्रश्नो पर इस कार्य–समूह ने गहराई से विचार किया।

अत इन सभी से संबंधित कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रसारण रेडियो द्वारा किया जाना चाहिए । रेडियो से कार्यक्रमों के प्रसारण में मुख्य हितधारक का सहयोग प्राप्त किया जा सकता हैं।

आज का युग परिवर्तनो का युग है। लोगो का जीवन स्तर उन्नत करने और सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा विभिन्न क्षेत्रो में हूए विकास की पूर्ण जानकारी हो, जैसे कृषि, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, परिवार–नियोजन, खेती, उद्योग आदि। सूचनाओं का प्रेषण लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बहुत जरूरी है और जनसंचार माध्यम से ऐसा संभव है। भारत और भारत से बाहर खासकर विकासशील देशों में इसे गंभीरता से लिया गया है इसलिए सूचना क्रांति के नए दौर में हम प्रवेश कर सके है। पूरी दुनिया में ई–प्रशासन आदि की मदद से करोड़ो लोगों का जीवन ना केवल सुविधापूर्ण बना है बल्कि हम आज विश्व के साथ जुड़ चुके है एक ''ग्लोबल गाँव '' की तरह। हमारी सरकार की योजनाओं में एक यह भी उद्येश्य शामिल है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ही गाँवों का विकास किया जाए। पुनः यहाँ भी रेडियो की भूमिका परिलक्षित होती है।सरकार अपनी जनसंचार सेवाओं को लोगो तक पहुँचाने में मदद करती है। ताकि प्रशासन और ग्रामीण जनता के बीच संपर्क आसान हो सके।

संदर्भ सूची

1. लैपियर, दॉ मिनियक एवं कालिन्स, लैरी, आधी रात की आजादी, पृष्ठ
2. भानावत, संजीव, पत्रकारिता का इतिहास एवं जनसंचार माध्यम, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. फाड़िया, डॉ0 बी0 एल0, भारत में लोकप्रशासन, पृष्ठ–42–43
4. गुप्त, बृजमोहन, जनसंचार विविधि आयाम
5. शर्मा, डॉ0 हरिश्चन्द्र, भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृष्ठ–12–13
6. जनसंचार, संपादक–राधेश्याम शर्मा, पृष्ठ–335, 336, 337, 211, 239
7. सिद्धेश्वर, समकालीन यथार्थ–बोध
8. चौधरी, डॉ0 विमला, प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था, पृष्ठ–2, 23
9. भटनागर, राम रतन, The rise and Growth of Hindi Journalism, पृष्ठ–7
10. वैदिक, डॉ0 वेद प्रताप, हिन्दी पत्रकारिता के 150 वर्ष, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 27 मई 1976, पृष्ठ–9 (स्त्रोत पुस्तक)
11. सिन्हा, डॉ0 किशोर, हिन्दी की आंचलिक कहानी, परम्परा और प्रयोग
12. संवादक राजकिशोर, समकालीन पत्रकारिता मूल्यांकन और मुद्दे पृष्ठ–13
13. दूबे, डॉ० रमेश, शर्मा, डॉ० हरिश्चन्द्र, भारत में लोक प्रशासन, पृष्ठ सं०–271
14. सम्पादक–वहीद अहमद काजी; राज्य सरकार और जनसम्पर्क
15. इग्नू नोट्स, एम०आर०पी० 001, ब्लॉक–4, पृष्ठ–34–35
16. सम्पादक–राधेश्याम शर्मा, जनसंचार, हरियाणा साहित्य अकादम, पंचकुला
17. योजना, जनवरी 2000 (रेडिया कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी, पृष्ठ–52–55)
18. शर्मा, कौशल; रेडियो–प्रसारण, पृष्ठ–41–43
19. कुमार, सुरेश, इंटरनेट पत्रकारिता, पृष्ठ–4,5,16
20. भट्ट, राजेन्द्र शंकर, पत्र, पत्रकार और पत्रकारिता

21. सेन, अमर्त्य, आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य
22. गणेशन, डॉ०आर०, भारतीय संग्रहालय एवं जनसम्पर्क
23. अवस्थी; डॉ० ए० पी०, विकास प्रशासन, पृष्ठ 191–192
24. संपादक–राजकिशोर; समकालीन पत्रकारिता मूल्यांकन और मुद्दे, पृष्ठ–13